Thirteenth Loksabha

Session : 11
Date : 29-11-2002

Participants : Paswan Shri Ram Vilas ,Pramod Mahajan Shri ,Shinde Shri Sushil Kumar ,Singh Dr. Raghuvansh Prasad ,Malhotra Prof. Vijay Kumar ,Chaturvedi Shri Satyavrat

NT>

12.30 hrs.

Title: Need to declare 6, Krishna Menon Marg, New Delhi as Babu Jagjivan Ram National Memorial.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं इस सदन में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 6 कृणमेनन मार्ग के मुद्दे को रखने की अनुमति दी और यहां पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मौजूद हैं। उन्होंने इस सदन को आश्वासन दिया था कि इस मामले को वह प्रधान मंत्री की नॉलेज में लाएंगे। इस बीच में अखबार में देखने को मिला कि पार्लियामेंट के एक जवाब में सरकार ने कहा है कि बाबू जगजीवन राम जी के 6, कृणा मेनन मार्ग को जो राट्रीय स्मारक घोाित करने का मामला था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। बाहर बार-बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोर्ट की मेरे पास कॉपी है। आप कहें तो मैं दे सकता हूं। कोर्ट ने 10-11-1998 के अपने अंतरिम आदेश में कहा था:

> "On the overall consideration of the matter, we direct that no further allotment to the houses for the purposes of trusts, memorials and political parties shall be made by the Union of India without the leave of the court till the next date."

पहले पैराग्राफ में कहा कि:

> "A decision with regard to 6, Krishna Menon Marg and 1, Moti Lal Nehru Marg be placed before this court on the next date."

उसके बाद कोई फैसला नहीं हुआ और जो 1, मोतीलाल नेहरू मार्ग था, उसको राट्रीय स्मारक घोाित कर दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी हम लोगों के नेता हैं, हमारे देश के नेता हैं, जो

किया गया, बहुत अच्छा किया गया लेकिन Why is there a discrimination against Babu Jagjivan Ram? ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि नौंवी लोक सभा के 114 एमपीज, दसवीं लोक सभा के 267 एमपीज और मदन लाल खुराना जी यहां बैठे हुए हैं, जार्ज फर्नांडीज ने 11 जुलाई 2002 को लिखा। साहिब सिंह वर्मा ने 4 जुलाई 2002 को और बंगारू लक्ष्मण ने भी इस सदन को लिखा है। शरद यादव ने 31 जुलाई 2002 को, सूरजभान जी ने 26 जुलाई 2002 को लिखा है। लाल बिहारी तिवारी जी ने लिखा है, एच.डी.देवगौड़ा जी ने लिखा है। इंद्रकुमार गुजराल साहब ने लिखा है। पी.वी.नरसिंहराव जी ने लिखा है, शंकर दयाल शर्मा जी ने राट्रपति की हैसियत से 22 जुलाई 1995 को पी.एम. को लिखा है। के.आर.नारायणन ने 6-7-2002 को दुबारा लिखा। मनोहर जोशी जी ने स्पीकर की हैसियत से 16 सितम्बर 2002 को स्ट्रांगली रिकमेंड किया। 2000-2002 को सैकड़ों एमपीज ने लिखा। इसमें जगजीवन राम जी का क्या क्राइम है? सब लोगों के लिखने के बावजूद भी लाल बहादुर शास्त्री जी का हो गया । कोर्ट ने कहा कि दोनों पर विचार करो तो जगजीवन राम जी के प्रति इस तरह का अन्याय मेरी समझ में नहीं आता है और यह सरकार...(व्यवधान) यह सरकार दलित वर्ग के प्रति...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बाबू जगजीवन राम जी एक महान स्वतंत्रता सैनानी थे।...(व्यवधान)

इस तरह से उनके साथ जो भेदभाव किया गया है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।...(व्यवधान) सदन में सरकार बताएं कि सरकार का क्या कहना है।...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है। यदि किसी को कोई आपत्ति है या सदन को आपत्ति है तो एक व्यक्ति भी खड़ा होकर बोले।...(व्यवधान) हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार इस बारे में जवाब दे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने यह महत्वपूर्ण विाय बहुत अच्छी तरह से रखा है। मैं सोचता हूं कि यह सब सूचना सरकार तक पहुंचाने की जरूरत थी जो आपने पहुंचाई है। अभी सरकार इस विाय में क्या उत्तर देती है, वह मैं देखना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Sir, last week, the Parliamentary Affairs Minister assured us about this.… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: The Parliamentary Affairs Minister himself is the Government. Let him reply to this.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): I did not assure anything. … (*Interruptions*)

SHRI HANNAN MOLLAH : Last week, the Parliamentary Affairs Minister assured us that he would carry the message to the hon. Prime Minister.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I have done it. … (*Interruptions*)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, यह सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी है। असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदार है, वरना इतने दिनों से यह मसला उठ रहा है, इसके ऊपर सरकार को जवाब लेकर

सदन में आना चाहिए था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विाय पर बहुत चर्चा हो गई है, और चर्चा नहीं कर सकते हैं। दूसरे भी अर्जेंट विाय मेरे सामने हैं। यह एक इन्पोर्टेंट विाय है। इस पर मंत्री जी जवाब दे सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, शांति से अगर माननीय सदस्य सुनें, तो जितनी जानकारी मेरे पास है, वह मैं सदन को दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब यह विाय सदन में उठा था, तो मैंने सदन में कहा था कि सदन में जिन सदस्यों ने भावना व्यक्त की है, उसको मैं प्रधान मंत्री जी तक उसी क्षण उसी दिन पहुंचाऊंगा और वह मैंने पहुंचाई है। अगर निश्चित रूप से उत्तर मिले, तो मैं निश्चित रूप से सदन को दे सकता हूं। इस क्षण मैं दो बातें कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) एक तो यह है कि यह सच नहीं है, कम से कम आज तक, इसके बाद फैसला हो, सरकार फैसला करे, तो सरकार हर बड़े नेता का स्मारक बना सकती है, यह अलग बात है ...(व्यवधान) महोदय, मेरी दृटि में सब नेता बड़े हैं। मैं किसी के साथ किसी एक की तुलना करूं, इसका क्यों और उसका क्यों, उस तुलना में शास्त्री जी का क्यों या बाबू जगजीवन राम जी का क्यों, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। यह ठीक है, जिन सारे पत्रों के बारे में आपने कहा, वे पत्र और जो अभी प्रधान मंत्री जी हैं, उन्होंने लिखा था या देवगौड़ा जी ने लिखा था या गुजराल जी ने लिखा था - ये तीनों प्रधान मंत्री बनें, लेकिन उन्होंने किया नहीं । इन सबके पास प्रधान मंत्री पद रहे ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : किसी ने हटाया नहीं।

श्री प्रमोद महाजन : किसी ने हटाया नहीं, लेकिन वे स्मारक तो हैं नहीं। दूसरी बात, यह सच नहीं है कि सरकार केवल इससे ही इन्कार कर रही है। चौ. अजित सिंह का पत्र था कि चौ. चरणसिंह जी इस घर में इतने वर्ों तक रहे हैं, इसलिए इस घर को स्मारक बना दिया जाए। इस बात से सरकार ने सहमति प्रकट नहीं की। चौ. ओमप्रकाश चौटाला जी का पत्र आया कि चौ. देवीलाल जी देश के उपप्रधान मंत्री थे और इस घर में इतने वर्ों तक रहे हैं, इसलिए इस घर को स्मारक बना दीजिए। सरकार ने कहा कि स्मारक नहीं बनेगा। सन् 2000 में जो वर्तमान सरकार थी, सरकार की कैबिनेट ने, जिस कैबिनेट में रामविलास पासवान जी भी कुछ महीने तक सदस्य थे, उस कैबिनेट ने यह फैसला किया ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : जी नहीं, बाद में, सन् 2002 में।

श्री प्रमोद महाजन : आप सदस्य थे, उस दिन थे या नहीं थे, इतना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जिस मंत्रि परिाद् ने यह फैसला किया कि दिल्ली के घरों में बहुत बड़े-बड़े लोग रहते हैं, उन सब के लिए अलग से एक स्मारक करना

हो, तो अलग-अलग प्रकार से महान व्यक्तियों के स्मारक कर सकते हैं, जिनमें बाबू जगजीवन राम का भी कर सकते हैं। यहां दिल्ली में वर्षों से बड़े नेता रहते रहे हैं, जिन घरों में रहे हैं, उन घरों में उनकी मृत्यु के बाद उनका स्मारक बनाने की परम्परा के तहत कुछ घर ही बनें, ज्यादा नहीं बनें, लेकिन उस समय की कैबिनेट ने कहा इससे आगे किसी का नहीं किया जाएगा। मैं अर्बन डवेलपमेंट मिनिस्टर नहीं हूं, मुझे कोर्ट के बारे में डिटेल का पता नहीं है। आपने इस विाय को उठाया है, लेकिन यह सच नहीं है कि सरकार भेदभाव कर रही है। चौ. अजित सिंह जी स्वंय इस मंत्री परिाद् के सदस्य हैं, फिर भी हमने कहा कि आपके पिता जी के प्रति हमारा पूरा सम्मान होने के पश्चात् भी हम उस घर को स्मारक नहीं बना सकते हैं। चौ. ओमप्रकाश चौटाला जी एनडीए के सदस्य हैं, मुख्य मंत्री हैं, लेकिन हमने कहा कि हमारा पूरा सम्मान चौ. देवीलाल जी के प्रति है, लेकिन उस घर को स्मारक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि घरों के बीच किसी एक घर को स्मारक में परिवर्तित न करें। इस प्रकार का कैबिनेट ने फैसला किया है, फिर आपने आग्रह से अपनी बात कही है, मैं आज फिर आपकी बात प्रधान मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। वे जो फैसला करें और अगर मुझे उस फैसले का पता चला, तो मैं जरूर बताऊंगा। ...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में फैसला किया, लेकिन बाबू जगजी वन राम जी के बारे फैसला नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : दो आदमियों के बारे में फैसला हुआ है।

श्री प्रमोद महाजन : कौन से साल में हुआ? ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : 1991 में। ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : **1991** में किसी की सरकार थी? आप मुझे क्यों दोा दे रहे हैं, उनसे पूछिए। ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : 1998 में। ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : हमारी सरकार आने के बाद कोई नया स्मारक नहीं बना।...(व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Speaker, Sir, will you please allow me to make a submission?

MR. SPEAKER: Do you want to make a submission on this issue?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : No; not on this issue. I want to make a submission on some other issue.

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राममनोहर लोहिया के स्मारक बनाने के बारे में भी विचार किया गया था।...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : महोदय, जो सबमिशन दिया गया था, इन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री जी तक पहुचाएंगे, उसका क्या हुआ?...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : मुझे प्रधानमंत्री जी ने इसमें हां या नहीं, कुछ नहीं कहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप जानते हैं कि मैंने खुद इस विाय में पत्र दिया है। मैं आपसे एक विनती करूंगा और प्रमोद महाजन जी से भी कहूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : यह जो बार-बार 30 तारीख की बात हो रही है, मीरा कुमार जी के पति ने कोर्ट में लिख कर दिया है कि मैं 30 तारीख तक खाली करूंगा। हमने कोई तारीख कोर्ट में नहीं दी है, सरकार की तरफ से कोई तारीख कोर्ट को नहीं दी गई।...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, वहां से मेमोरियल नहीं हटेगा।...(व्यवधान) मीरा कुमार जी वहां से दूसरी जगह चली गई हैं।...(व्यवधान) मैं राट्रीय स्मारक की बात कर रहा हूं, मीरा कुमार जी की नहीं कर रहा हूं। मीरा कुमार जी को वहां से हटा दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब लोग बैठ जाइए।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : उस तारीख का सवाल ही नहीं है, मीरा कुमार जी वहां से चली गई हैं। बाबू जी के सभी फोटोग्राफ्स, म्युज़ियम उसी जगह पर हैं तो सरकार को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरकार दो-चार दिन में डिसीजन ले सकती है, क्योंकि बाबू जी का पूरा म्यूज़ियम वहां रखा है। मीरा कुमार जी और उनके पति वहां से चले गए हैं। अभी तक सब लोगों के वहां स्मारक हैं, केवल दो दलित थे - एक डा. अम्बेडकर साहब और दूसरे जगजीवन राम जी - उनके नहीं हैं। यह मैसेज देश में गलत जाएगा। दलितों के बारे में इस तरह का निर्णय होना ठीक नहीं है। इस बारे में अभी भी सरकार सोच सकती है।...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इसमें राजनीति लाना ठीक नहीं है। शिंदे जी, अगर मैं राजनीति लाना शुरू करूं तो ठीक नहीं होगा। बाबू जी का देहावसान हुए 16 साल हो गए हैं। उसके बाद आप कम से कम दस वर्ा तक सत्ता में थे तब आपने क्यों नहीं किया?...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शिंदे : हम लिखते रहे।...(व्यवधान) हमने कभी निकाला नहीं।...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : क्या हमने निकाला है?...(व्यवधान) आप गलत बोल रहे हैं, आपको मालूम नहीं है।...(व्यवधान) क्या आपने बनाया है?...(व्यवधान) क्या हमने विरोध किया था? राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री बने, उसके बाद पी.वी. नरसिंह राव जी, वी.पी. सिंह जी, गुजराल जी और फिर देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री बने, किसी ने नहीं बनाया।...(व्यवधान) आप हमारी सरकार को कह रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइए। रघुवंश प्रसाद जी, आप भी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विाय पर बहुत चर्चा हुई है। आप जगजीवन बाबू का स्मारक बनाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : वहां कोई संग्राहलय नहीं है, जिसे हम हटवा रहे हैं।...(व्यवधान) उस घर में कभी कोई फैसला संग्रहालय का नहीं हुआ।....(व्यवधान) उनकी बेटी वहां रहती थी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि आप इस विाय पर रास्ता निकालना चाहते हैं। आप बैठ जाइये। देखिये, सदन में हर विाय पर रास्ता निकल सकता है, बात को आपको समझना चाहिए, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या शोर मचाने से समस्या हल हो सकती है। इसलिए शोर मचाने की जरुरत नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि वे माननीय प्र ाधान मंत्री जी से अभी इस पर बात कर रहे हैं। इसके ऊपर एक ही रास्ता है कि जब हर पक्ष और पार्टी चाहती है कि स्मारक बनना चाहिए, तो आप सब लोग इकट्ठा होकर प्रधान मंत्री जी से मिल सकते हैं। अगर एक निर्णय हुआ भी है तो वह बदला जा सकता है, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : तब तक खाली तो मत करवाइये।

श्री प्रमोद महाजन : खाली किससे न करवाये। रामविलास पासवान जी बार-बार कह रहे हैं कि खाली न करवाये। लेकिन किससे खाली न करवाए?

श्री राम विलास पासवान : वह दूसरे के नाम से, एक्स-जज के नाम से अलॉट हो गया है।

श्री प्रमोद महाजन : उसका पोजेशन किसके पास है, यह पता होना चाहिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उनके जीवन से संबंधित जो चीजें वहां रखी हैं, उनको न हटाया जाए।... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Now, I go to the next subject.

… (*Interruptions*)

श्री राम विलास पासवान : यह सरकार जान-बूझकर दलितों को भड़काना चाहती है।...(व्यवधान)